राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्याः- 1551/2023

अनूप सिंह

-अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान एवं अन्य।

-प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.06.2023
आदेश की दिनांक : 14.06.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्षः- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि कार्यालय कमाण्डेन्ट, सातवीं बटालियन आरएसी भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2023 के द्वारा बटालियन की एसटीएफ कम्पनी में नियोजित कार्मिक जो एसटीएफ कंपनी की निर्धारित आयु पूर्ण कर चुके हैं तथा मैडीकल अनफिट तथा अप्रशिक्षित है, को एसटीएफ कंपनी से पृथक किया जाता है। उक्त आदेश के द्वारा अपीलार्थी को एसटीएफ कंपनी से पृथक होने पर उसे नवीन पदस्थापित कंपनी (ए कम्पनी) में पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को एसटीएफ कम्पनी से पृथक किये जाने से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु अपीलार्थी का पदस्थापन भरतपुर जिले में किया जाये, क्योंकि अपीलार्थी की पत्नी शिक्षा विभाग में पीटीआई के पद पर भरतपुर जिले में कार्यरत है। उनका कथन है

कि राज्य सरकार की यह नीति रही है कि पति और पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में होने पर उन्हें एक ही स्थान पर कार्यरत रखा जायें। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण भरतपुर जिले से बाहर होने पर उन्हें व्यक्तिगत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिपे्रक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (**Speaking Order**) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य़

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)